मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2012 (फाल्गुन 26, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 123 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 126 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उनके ध्यानाकर्षण सम्बन्धी दैनिक कार्यसूची में क्रमानुसार नाम अंकित न होने की बात कहते हुए, विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया।)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 33 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार –

(1) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के घुघरी से घावी मार्ग खराब होने तथा पुलिया न होने,
(2) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के ग्रामों में फसलों के नुकसान का मुआवजा न देने,
(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल जिले के नरेला क्षेत्र में अवैध बस्तियों में स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य न होने,
(4) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर के 10, 11 तथा 12 नंबर की सड़कों में नाली न होने,
(5) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के बैहर से नियम विरूद्ध परिवहन किये जाने,
(6) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के सनावद की अवंति सूत मिल के कर्मियों को सेवा से हटाने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की ग्वालियर जिले के ग्राम रसूलपुर के व्यक्तियों का अपहरण होने,
(8) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले में विद्युत कटौती की जाने,
(9) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य की दतिया जिले की धनपीपरी माईनर योजना क्षतिग्रस्त होने,
(10) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की सरदारपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती होने,
(11) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के उद्वहन सिंचाई योजनाएं बंद होने,
(12) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की जबलपुर जिले के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम घोषित न होने,
(13) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत कुल्लपुर के सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करने,
(14) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खंडवा जिले के बड़ाबम से रामेश्वर मार्ग की स्थिति खराब होने,
(15) श्री आरिफ अकील, सदस्य की बी.एड. प्रवेश में दलित आदिवासी छात्रों से फीस ली जाने,
(16) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बायपास मार्ग न होने से दुर्घटनाएं होने,
(17) श्री अभय कुमार मिश्रा, , सदस्य की रीवा जिले के जरमौहरा बांध की मरम्मत की जाने,
(18) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर जिले के तानसेन नगर में सड़कों की हालत जर्जर होने,
(19) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले से रेत ढुलाई में लगे ट्रकों पर त्रिपाल न डाली जाने,
(20) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना जिले के स्टेशन रोड पर स्थित शराब की दुकान से परेशानी होने,
(21) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्होरी में नीलगाय द्वारा फसलों को नष्ट करने,
(22) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम हिंगोठियाई में एक महिला की गला घोटकर हत्या करने,
(23) श्री मूल सिंह, सदस्य की राघौगढ़ क्षेत्र में ए.बी. रोड से संजय सागर मार्ग के जर्जर होने,
(24) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की डबरा क्षेत्र के पास स्थित हरसी डेम में दोनों ओर रैलिंग न होने से दुर्घटनाएं होने,
(25) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के गुनवा तालाब से पुतलखी तक की सड़क के जर्जर होने,
(26) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खंडवा जिले के ग्राम दीपलाफाटा से खिडगांव तक सड़क का डामरीकरण करने,
(27) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्होरी में नलजल योजना बंद होने,
(28) श्री अजय सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की भिण्ड जिले में गणपत ऑयल मिल मालिक द्वारा महिलाकर्मी को अपमानित करने,

(29) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य की देवास जिले के ग्राम खूटखेड़ा में विद्युत गृह के न होने,
(30) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की बड़वानी जिले के सेंधवा में अस्पताल का निर्माण न किये जाने,
(31) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी नगर पालिका द्वारा मूर्ति लोकार्पण में प्रोटोकाल उल्लंघन होने,
(32) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के छावनी में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था महिला स्वसहायता समूह द्वारा ही कराने एवं
(33) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर नगर निगम में आश्रम निधि के रूपये न दिये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम 1995 की धारा 28 (3) की अपेक्षानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 2012 तथा

(ख) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 की धारा 13 (3) की अपेक्षानुसार, (i) अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 (ii) शुध्दि-पत्र , दिनांक 7 दिसम्बर, 2011, तथा (iii) अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 2012 पटल पर रखीं।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 28 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम (138) (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने सागर संभाग के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के खाचरौद विकासखण्ड अंतर्गत छात्र-छात्राओं को ड्रेस एवं साइकिल न मिलने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य ने सिवनी जिले के जोबा नाला पर बांध न बनाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री विश्वास सारंग , बृजमोहन धूत तथा कमल पटेल, सदस्यगण ने देवास जिले के नेमावर स्थित नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने सतना जिले की गहवर नदी पर बांध न बनाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने इंदौर जिले में पाला पीड़ित कृषकों की फसल के नुकसान का सर्वे न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (7) से (28) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए -

(7) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले की भारतेंदू उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में सड़कों की जर्जर हालत से दुर्घटनायें होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(9) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्होरी में बने स्टाप डेम का पानी सड़क पर गिरने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष) तथा इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्यगण की सागर जिले के ग्राम जलंधर में कृषकों की भूमि फर्जी अभिलेख के आधार पर रजिस्ट्री होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की शिवपुरी जिले के करेरा पुलिस द्वारा जप्त बछड़े गौशाला से गायब होने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पुरुषोत्तम दांगी तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण की ग्वालियर के रायरु स्थित शराब फेक्ट्री में मिलावटी शराब बनाये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष), सदस्य की रायसेन जिले के सतलापुर कालोनी के रहवासियों को मूलभूत सुविधा मुहैया न कराये जाने संबंधी सूचना तथा आवास मंत्री का वक्तव्य।

(14) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा तथा पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के हुसैन टेकरी में हुई भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(15) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान के निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खेल एवं युवक कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(16) सर्वश्री रामनिवास रावत, पुरुषोत्तम दांगी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की शिवपुरी जिले के ग्राम भौंती में डकैती होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की राजगढ़ जिले के ग्राम पगारी में एक युवक के हाथ पांव काटे जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी में पदस्थ सहायक संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा मछली पालन मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की मंदसौर जिले में खनिज कार्य में लगे वाहनों से अवैध रूप से व्यवसायिक कर की वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(20) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ब्यावरा में संचालित मदर टेरेसा विद्यालय द्वारा छात्रों से अवैध वसूली संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री रणवीर जाटव, सदस्य की प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के परीक्षण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री प्रभुदयाल गहलोत, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम रावटी में सामूहिक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाहित युवकों की शादी होने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की सागर जिले के बण्डा क्षेत्र में पाला से फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वानी रोड़ स्थित माईन उद्योग परिसर में डकैती पड़ने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(25) सर्वश्री तुलसीराम सिलावट, आरिफ अकील तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण की इंदौर के बेटमा में दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के गोर्गी में स्थापित डी.वी. पॉवर प्लांट द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(27) सर्वश्री आरिफ अकील, पुरूषोत्तम दांगी तथा राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में खाद, बीज की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर तहसील में पाला प्रभावित कृषकों को राहत राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री ताराचंद बावरिया (जिला-छिंदवाड़ा)
(2) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके (जिला-बैतूल)
(3) श्री मोतीलाल तिवारी (जिला-सतना)
(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(5) श्री कमल पटेल (जिला-हरदा)
(6) राव राजकुमार सिंह यादव (महुअन) (जिला-अशोक नगर)
(7) श्री ध्रुवनारायण सिंह (जिला-भोपाल शहर)
(8) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(9) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम शहर)

6. जल संसाधन मंत्री का प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री जयन्त मलैया, जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 23 फरवरी, 2012 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 157) के उत्तर में संशोधन करने सम्बन्धी वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 14 एवं 15 मार्च, 2012 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(5) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 17	सहकारिता के लिए पांच सौ चौरानवे करोड़, पच्चीस लाख, चौवन हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) श्री सुनील जायसवाल
(7) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(8) श्री सुरेश चौधरी
(9) श्री राजकुमार उरमलिया
(10) श्री ब्रजराज सिंह चौहान

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर सदन को दी गई सूचना

डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2012 को श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य के साथ भोपाल के एक मॉल में घटित दुर्व्यवहार की घटना का उल्लेख कर आसंदी से इसकी जांच कराने हेतु अनुरोध किया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गृह मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले को देखने हेतु निर्देशित किया गया।

9. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय कार्य के समय में परिवर्तन विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि –

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के लिए नियत है। चूंकि अनेक विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा शेष है, अत: सायं 5.00 बजे तक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होने के बाद, गैर-सरकारी कार्य हेतु निर्धारित समय में अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे।

10. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(6) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए एक सौ इकसठ करोड़, सत्तर लाख, अठहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए एक हजार आठ सौ छत्तीस करोड़, अट्ठाइस लाख,पैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए एक सौ नौ करोड़, अट्ठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए चार सौ बयासी करोड़, पचपन लाख, छियासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें के लिए एक सौ छियानवे करोड़, सतहत्तर लाख, सड़सठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री कमल पटेल
(3) श्री मनीराम धाकड़
(4) श्री ब्रजराज सिंह चौहान
(5) श्री ताराचंद बावरिया
(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(7) श्री पारस सकलेचा
(8) श्री राधेश्याम पाटीदार
(9) श्री सुरेश चौधरी
(10) श्री दशरथ सिंह लोधी
(11) श्रीनारायण प्रजापति
(12) श्री सुरेन्द्र गहरवार
(13) श्री बृजमोहन धूत
(14) श्री चम्पालाल देवड़ा
(15) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. बधाई

श्री सचिन तेन्दुलकर द्वारा महाशतक बनाने पर बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य श्री सचिन तेन्दुलकर द्वारा आज महाशतक पूरा करने के संबंध में श्री उमाशंकर, गृह मंत्री द्वारा सदन को सूचना दी गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से उन्हें बधाई दी गई। (माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की गई।)

12. अशासकीय संकल्प

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, विश्वास सारंग, सदस्यगण के निम्नलिखित संकल्प को उनके अनुरोध पर अगले शुक्रवार को लेने की घोषणा की गई कि - "सदन का यह मत है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर विभिन्न धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक कड़ा कानून बनाना चाहिए."

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि जिला मुख्यालय भिण्ड में थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना की सैनिक भर्ती का केन्द्र स्थापित किया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि भटियारा पिछड़ा वर्ग में आने वाली जाति के अंतर्गत उप जाति नेमा, गुप्ता, वानिया, नायक को भी शामिल किया जाय." तथा भाषण देना प्रारम्भ किया।

इस अशासकीय संकल्प में श्री विश्वास सारंग, सदस्य की अनुपस्थितिवश संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया। संकल्प पर उत्तर देने वाले संबंधित मंत्री की अनुपस्थितिवश, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से इस अशासकीय संकल्प को अगले शुक्रवार को लेने सम्बन्धी सूचना दी गई।

अपराह्न 4.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 2012 (फाल्गुन 29, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 16 मार्च, 2012